



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062026-273432
CG-DL-E-13062026-273432

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2899]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2899]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISHTHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2997(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37—क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित परियोजनाओं को —

क. उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के सुल्तानपुर—जाफराबाद खण्ड पर कि.मी. 843.844 पर स्थित समपार संख्या 16/विशेष के स्थान पर (रेलवे लागत) पर 2—लेन सड़क उपरिगामी सेतु (आरओबी) सहित सड़क अधोगामी सेतु (आरयूबी) का निर्माण।

ख. उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के सुल्तानपुर—जाफराबाद खण्ड पर कि.मी. 852.959 पर स्थित समपार संख्या 21/विशेष के स्थान पर रेलवे लागत पर 2—लेन सड़क उपरी सेतु (आरओबी) सहित सड़क अधोगामी सेतु (आरयूबी) का निर्माण।

ग. वाराणसी—प्रतापगढ़—रायबरेली—लखनऊ खण्ड पर समपार संख्या 15/सी (कि.मी. 789.928), 17/सी (कि.मी. 792.550), 19/सी (कि.मी. 796.201), 20/सी (कि.मी. 797.754) तथा 22/सी (कि.मी. 800.303) के स्थान पर सड़क अधोगामी सेतु (आरयूबी) का निर्माण।

घ. वाराणसी—प्रतापगढ़—रायबरेली—लखनऊ खण्ड पर समपार संख्या 33/सी (कि.मी. 818.946), 37/सी (कि.मी. 825.718), 38/सी (कि.मी. 827.110), 39/सी (कि.मी. 828.397) तथा 40/सी (कि.मी. 829.760) के स्थान पर सड़क अधोगामी सेतु (आरयूबी) का निर्माण।

ङ. वाराणसी—जाफराबाद खण्ड में एडीईएन/जौनपुर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समपार संख्या 32/सी (जलालगंज—सिरकोनी), 35/सी (सिरकोनी—जाफराबाद) तथा 36/सी (सिरकोनी—जाफराबाद) के स्थान पर सड़क अधोगामी सेतु (आरयूबी) का निर्माण।

लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के जिला वाराणसी, जौनपुर तथा भदोही में भूमि अधिग्रहण हेतु “विशेष रेल परियोजनाओं” के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. 190-W/Land/BSB-II/ROB-RUB]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2997(E).—In exercise of the power conferred by Clause (37A) of Section 2 of The Railway (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby notifies the following projects of Lucknow division of Northern Railway:

- Provision of 2-lane ROB along with RUB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 16/SPL at KM 843.844 on Sultanpur-Zafrabad section of Lucknow Division on Northern Railway.
- Provision of 2-lane ROB along with RUB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 21/SPL at KM 852.959 on Sultanpur-Zafrabad section of Lucknow Division on Northern Railway.
- Provision of RUB in lieu of LC no. 15/C (789.928), 17C (792.550), 19/C (796.201), 20/C (797.754), 22/C (800.303) Varanasi-Pratapgarh-Raebareli-Lucknow section.
- Varanasi-Pratapgarh-Raebareli-Lucknow: Provision of RUB in lieu of LC no. 33/C (818.946), 37/C (825.718), 38/C (827.110), 39/C (828.397) & 40/C (829.760) on Varanasi-Pratapgarh-Raebareli-Lucknow Section.
- Provision of RUB in lieu of LC no. 32C(JLL-SIQ), 35C(SIQ-ZBD), 36C (SIQ-ZBD) in BSB-ZBD section under ADEN/JNU

as “**Special Railway Projects**” for acquisition of land in Districts Varanasi, Jaunpur and Bhadohi of the State Uttar Pradesh, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 190-W/Land/BSB-II/ROB-RUB]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const.-II